

उत्तर प्रदेश शासन
कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार अनुभाग-2
संख्या- 7 /1664853/अस्सी-2-2021-80-2099/17/2021
लखनऊ दिनांक 03 सितम्बर,2021

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी नियमावली, 1965 के नियम 58-क के साथ पठित उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी अधिनियम, 1964 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 25 सन् 1964) की धारा 7 क की उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल घोषणा करती हैं कि मकान संख्या के-12 कर्मयोगी एनक्लेव, कमलानगर, जिला आगरा में अवस्थित दिव्य भूमि एग्रीक्रोप प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड द्वारा पट्टाकृत नीचे सारणी में ब्यौरेवार रूप में उल्लिखित क्षेत्र, इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि के लिए खाद्यान्नों, फलों तथा सब्जियों के थोक सौदों के निमित्त, इस शर्त के साथ मण्डी उप-स्थल के रूप में कार्य करेगा कि कृषक-विक्रेता से कोई मण्डी शुल्क प्रभारित नहीं किया जाएगा:-

मण्डी उप- स्थल के खसरा एवं चौहदियों की ब्यौरेवार सारणी

कृषि उत्पादन मण्डी समिति, ग्राम छीतापुरा नगला वीरई, तहसील खैरागढ़, जिला आगरा के मण्डी क्षेत्र के भीतर अवस्थित गाटा संख्या- 93, क्षेत्रफल 4610 वर्गमीटर।

पूरब-	कुसुम शर्मा और अन्य के खेत
पश्चिम-	आगरा ग्वालियर मार्ग
उत्तर-	चन्द्रपाल का खेत और चकरोड
दक्षिण-	अशोक कुमार तोमर का खेत

आज्ञा से,

डा0 देवेश चतुर्वेदी
अपर मुख्य सचिवा

संख्या-7/1664853/अस्सी-2-2021-80-2099/17/2021 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को उपरोक्त अधिसूचना की अंग्रेजी प्रति सहित इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया दिनांक 03 सितम्बर, 2021 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट के भाग-4 के खण्ड 'ख' में प्रकाशनार्थ। कृपया उक्त गजट की 50 प्रतियां शासन को भेजने का कष्ट करें।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

2. निदेशक, कृषि विपणन एवं कृषि विदेश व्यापार निदेशालय, उ0प्र0
3. निदेशक, राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उ0प्र0, लखनऊ।
4. जिलाधिकारी, आगरा ।
5. सभापति/सचिव, कृषि उत्पादन मण्डी समिति, खैरागढ,आगरा।
6. दिव्य भूमि एग्रीक्रीप प्रोज़ूसर कंपनी लिमिटेड, मकान संख्या के-12 कर्मयोगी एनक्लेव, कमलानगर, जिला आगरा ।

आज्ञा से,

समर बहादुर
उप सचिव।

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

Uttar Pradesh Shasan
Krishi Vipran Evam Krishi Videsh Vyapar Anubhag-2

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification no. 7 /1664853/Eighty-2-2021 dated 03 September, 2021 :

NOTIFICATION

No.7 /1664853/Eighty-2-2021- File No: 80-2099/17/2021

Lucknow, Dated 03 September , 2021

In exercise of the powers under sub-section (1) of section 7-A of the Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Adhiniyam, 1964 (U.P. Act no. 25 of 1964) read with rule 58-A of Uttar Pradesh Krishi Utpadan Mandi Niyamawali, 1965, the Governor is pleased to declare that the area detailed in the table below, leased by Divyabhoomi Agricrop Producer Company Limited located at House no. K-12, Karamyogi Enclave, Kamla Nagar, in district Agra , shall function as a market sub-yard for specified wholesale transaction of food grains, fruits and vegetables for a period of three years from the date of publication of this notification in the Gazette, with the condition that no mandi fee shall be charged from the agriculturist-seller.

Table detailing Khasra and Boundaries of the Market Sub-Yard

Gata No. 93, Area 4610 square meter located within the market area of Krishi Utpadan Mandi Samiti, Village Chhitapur Nagla Birai, Tehsil Kheragarh, District Agra.

East : Field of Kusum Sharma and other.

West : Agra-Gwalior Road.

North : Field of Chandra pal and chak road.

South : Field of Ashok Kumar Tomar.

By Order,

Dr. Devesh Chaturvedi
Additional Chief Secretary

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।